¹[Rule 154 : Disposal of proceeds of sale of goods or conveyance and movable or immovable property

- (1) The amounts so realised from the sale of goods or conveyance, movable or immovable property, for the recovery of dues from a defaulter or for recovery of penalty payable under sub-section (3) of section 129 shall,-
 - (a) first, be appropriated against the administrative cost of the recovery process;
 - (b) next, be appropriated against the amount to be recovered or to the payment of the penalty payable under sub-section (3) of section 129, as the case may be;
 - (c) next, be appropriated against any other amount due from the defaulter under the Act or the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 or the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 or any of the State Goods and Services Tax Act, 2017 and the rules made thereunder; and
 - (d) the balance, if any, shall be credited to the electronic cash ledger of the owner of the goods or conveyance as the case may be, in case the person is registered under the Act, and where the said person is not required to be registered under the Act, the said amount shall be credited to the bank account of the person concerned;
- (2) where it is not possible to pay the balance of sale proceeds, as per clause (d) of sub-rule (1), to the person concerned within a period of six months from the date of sale of such goods or conveyance or such further period as the proper officer may allow, such balance of sale proceeds shall be deposited with the Fund;]

Rule 154 substituted by Noti. No. 40/2021–Central Tax, dt. 29-12-2021 w.e.f. 01-01-2022. Earlier to substitution it read as under:

[&]quot;Rule 154: Disposal of proceeds of sale of goods and movable or immovable property

The amounts so realised from the sale of goods, movable or immovable property, for the recovery of dues from a defaulter shall,-

⁽a) first, be appropriated against the administrative cost of the recovery process;

⁽b) next, be appropriated against the amount to be recovered;

⁽c) next, be appropriated against any other amount due from the defaulter under the Act or the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 or the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 or any of the State Goods and Services Tax Act, 2017 and the rules made thereunder; and

⁽d) any balance, be paid to the defaulter."

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

¹[नियम 154 : माल या प्रवहण और चल या अचल संपत्ति के विक्रय की प्रक्रियाओं का निपटान

- (1) व्यतिक्रमी से शोध्यों की वसूली के लिए या धारा 129 की उपधारा (3) के अधीन संदेय शास्ति की वसूली के लिए माल या प्रवहण चल या अचल संपत्ति के विक्रय से इस प्रकार वसूल की गई रकम,—
 - (क) पहले, वसूली प्रक्रिया की प्रशासनिक लागत के प्रति विनियोजित की जाएगी;
 - (ख) इसके बाद यथास्थिति धारा 129 की उपधारा (3) के अधीन वसूल की जाने वाली रकम या उसके अधीन संदेय शास्ति के संदाय के प्रति विनियोजित की जाएगी;
 - (ग) इसके बाद इस अधिनियम या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 या संघ रााज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 या किसी राज्य माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अधीन या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन व्यतिक्रमी से शोध्य किसी रकम के प्रति विनियोजित की जाएगी; और
 - (घ) अतिशेष, यदि कोई हो, यथास्थिति, माल या प्रवहण के स्वामी के इलेक्ट्रानिक नकद खाते में जमा किया जाएगा, यदि व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत है और जहां उक्त व्यक्ति की इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया जाना अपेक्षित नहीं है वहां उक्त रकम संबंधित व्यक्ति के बैंक खाते में जमा की जाएगी;
- (2) उप—िनयम (1) के खंड (घ) के अनुसार, जहां ऐसे माल या प्रवहण के विक्रय की तारीख से छह मास की अविध या ऐसी अतिरिक्त अविध के भीतर जो समुचित अधिकारी अनुज्ञात करे, संबंधित व्यक्ति को विक्रय आगमों का अतिशेष का संदाय करना संभव नहीं है वहां विक्रय आगमों का ऐसा अतिशेष निधि में जमा किया जाएगा।

प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार था :

"नियम 154: माल और जंगम या स्थावर सम्पत्ति के विक्रय के आगमों का व्ययन

किसी व्यतिक्रमी से शोध्य की वसूली के लिए, माल जंगम या स्थावर सम्पत्ति के विक्रय से इस प्रकार प्राप्त की गई रकमें...

¹ अधिसूचना क्रमांक 40 / 2021—केन्द्रीय कर, दिनांक 29.12.2021 द्वारा नियम 154 प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.01.2022)।

⁽क) प्रथमतया, वसूली प्रक्रिया पर हुए प्रशासनिक व्यय के विरूद्ध विनियोजित की जाएगी;

⁽ख) तत्पश्चात् वसूली की जाने वाली रकम के विरुद्ध विनियोजित की जाएगी;

⁽ग) तत्पश्चात् अधिनियम, या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) या संघ राज्यक्षेत्र और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) या किसी राज्य का राज्य माल और सेवा कर अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन व्यतिक्रमी से शोध्य किसी अन्य रकम के विरुद्ध विनियोजित की जाएगी: और

⁽घ) व्यतिक्रमी को संदत्त किए जाने वाले किसी अधिशेष के विरूद्ध विनियोजित की जाएगी।"